

राजस्थान सरकार  
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

RTE

क्रमांक: प.9(1) शिक्षा-5/2010पाट  
निदेशक,  
प्रारंभिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर।

जयपुर, दिनांक: 9-07-2013

विषय:- आर.टी.ई. प्राधानानुसार निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय (Unit Cost) सत्र 2013-14 के निर्धारण संबंध।


संदर्भ:- शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./सी/यूनिट कॉस्ट/18882/13-14/लूज 8/  
दिनांक 28.6.13

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्राधानान्तर्गत राज्य के निजी विद्यालयों में प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण प्रति बालक व्यय रुपये 11704/- (अक्षर ग्यारह हजार सात सौ चार रु. मात्र) प्रतिवर्ष किये जाने की निम्न शर्तों के अधीन शर्तीकृति प्रदान की जाती है:-

01. यह यूनिट कोस्ट सत्र 2013-14 में प्रवेश लेने वाले बालकों पर लागू होगी।
02. प्रविष्ट किये गये बालकों का सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने अपने नियंत्राधीन विद्यालयों में कराया जायेगा।
03. सत्यापन कार्य में प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं बालकों की विद्यार्थी उपस्थिति का उचित सत्यापन पश्चात् ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
04. इस यूनिट कोस्ट में निजी विद्यालयों द्वारा बालकों से वसूल किये जा रहे समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित माने जायेंगे।
05. इस यूनिट कोस्ट में छात्रों के लिए निर्धारित विद्यालय गणवेश पर होने वाला व्यय सम्मिलित नहीं है।
06. निजी विद्यालय इस अधिनियम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों एवं अन्य सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों के मध्य विद्यालय की सुविधाओं के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे।
07. यदि विद्यालय को राज्य सरकार/राजस्थान आवासन मण्डल/विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायतों आदि से भू-आवंटन की शर्तों में निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की किसी शर्त का उल्लेख है तो उक्त शर्तों की सीमा तक पुनर्भरण देय नहीं होगा।

यह शर्तीकृति वित्त विभाग से उनकी आई.डी. संख्या 101303193 दिनांक 18.7.2013 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।


  
(बी. गुप्ता)  
सहाय्य शासन सचिव

## कार्यालय, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./सी/यूनिट कॉस्ट/18882/13-14/33 दिनांक:-26/7/13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. वित्तीय सलाहकार, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
8. उप निदेशक प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा.....।
9. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा.....।

  
अतिरिक्त निदेशक  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर